

डिक्री व मुकदमें इक्वाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

रमेशचन्द बनाम बाबूलाल

दावा बाबत :- 53, 88, 188, राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 16/2015
पेश करने की दिनांक - 23.2.15

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री जयप्रकाश नारायण (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज० पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम ब्राह्मणों का बाडिया (राजोसी) के हाल खसरा नम्बर 2559, 1997, 1860, 2011, 214/5871, 2056, 2061, 2062, 1752, 1763, 2008 रकबा कम्बः 0.33, 0.16, 0.06, 0.07, 0.14, 0.48, 0.25, 0.22, 0.08, 0.03, 0.14 का खातेदार रमेशचन्द पुत्र गफूर उर्फ मांगीलाल को हाल ख०न० 2548, 1984, 1996, 1985, 1961/5828, 1969/8565, 2014, 1697/6207, 1708, 2005 रकबा कम्बः 0.33, 0.36, 0.16, 0.28, 0.04, 0.33, 0.13, 0.12, 0.07, 0.13 का खातेदार बाबुलाल, मीरा, लक्ष्मी पि० गफूर उर्फ मांगीलाल को घोषित किया जाता है। ख०न० 1986 रकबा 0.01 चाह का शामलाती इन्द्राज रहेगा। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद



मुकदमें में मय सूद व शरह तक को सालाना आज की तारीख से यानि वसूल तक को

दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 2 माह 12 सन् 2015 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

लक्ष्मी शर्मा